



अखण्ड भारत सन्देश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज शुक्रवार, 28 अगस्त, 2020

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान संस्थान की एक अनुपम भेंट

इस बार मुहर्रम पर नहीं निकलेगा ताजियों का जुलूस : सुप्रीम कोर्ट

कोविड-19 के मद्देनजर मुहर्रम पर निकाली जाने वाली ताजियों के जुलूस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुहर्रम की ताजिया निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस मांग को नहीं माना जा सकता क्योंकि इससे लोगों का स्वास्थ्य और उनकी जिंदगी जोखिम में पड़ सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि मुहर्रम के मौके पर ताजिया का जुलूस निकालने की अनुमति यदि दी जाती है और संक्रमण फैलता है तो इसके लिए समुदाय विशेष को जिम्मेवार माना जाएगा।



कोर्ट में अपनी याचिका ले जाने को कहा। मुहर्रम पर ताजिया का जुलूस निकालने को लेकर अनुमति मांगने वाली याचिका शिया नेता

सैयद कल्बे जवाद ने दर्ज कराई थी। आइएनएस के अनुसार, हजरत निजामुद्दीन औलिया दरगाह शरीफ के प्रमुख कासिफ निजामी ने

जोखिम में पड़ सकती है लोगों की जान

चीफ जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एस बोपन्ना व वी रामासुब्रह्मण्यम इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण देश में जो हालात हैं उसके मद्देनजर इस ताजिया को निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है इससे लोगों की जिंदगी खतरों में पड़ सकती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई कर रही जजों की बेंच ने कहा, 'आप ताजिया की जुलूस निकालने की मांग कर रहे हैं और यदि हम इसकी अनुमति दे देते हैं तो माहौल अस्त-व्यस्त हो जाएगा। कोविड-19 संक्रमण को फैलाने के लिए विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। हम वह नहीं चाहते हैं। कोर्ट के तौर पर हम लोगों की जिंदगी को जोखिम में नहीं डाल सकते।' मुहर्रम के दिन मुस्लिम समुदाय हुसैन की शहादत को याद करता है और मातम के तौर पर ताजिये के साथ जुलूस निकालने का रिवाज है।

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में ताजियों के जुलूस निकालने का का सिलसिला मुगलकाल से ही चला आ रहा है।

इस बार 700 साल में पहली बार मुहर्रम के मौके पर यह जुलूस नहीं निकाला जाएगा।

असम में भूकंप, रिक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई तीव्रता

नई दिल्ली, एएनआइ। असम में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 3.4 मापी गई है। समाचार एजेंसी एएनआइ के मुताबिक, भूकंप के झटके गुरुवार रात 10 बजकर 13 मिनट पर महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र तेजपुर के निकट बताया जाता है। बताया जाता है कि भूकंप के झटकों के बाद लोग घरी से बाहर आ गए। पिछले कुछ महीनों में असम में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। यदि तेजपुर की बात करें तो बीते दो महीनों में भूकंप का यह दूसरा झटका है। इससे पहले आठ जुलाई को असम के तेजपुर में 2.7 तीव्रता का भूकंप आया था। बीते तीन जुलाई को मिजोरम के चम्फाई के पास भी 4.6 तीव्रता के भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। बीते 26 अगस्त को पश्चिम बंगाल में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। राज्य के दुर्गापुर में सुबह 7.54 पर ये झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.1 मापी गई थी। पिछले महीने भारत-बांग्लादेश की सीमा पर भी इसी तरह के झटके महसूस किए गए थे। वहीं 21 अगस्त को झारखंड के साहिबगंज और आसपास के इलाकों में भूकंप का झटका महसूस किया गया था।

अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली, एएनआइ। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। इसमें दायर याचिका में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए अंतिम परीक्षा रद्द करने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के परिपत्र को चुनौती दी गई है।

देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्व विद्यालयों, डीम्ड विश्व विद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, इन सभी से सम्बद्ध महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक और

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला 28 अगस्त यानि शुक्रवार को को निर्णय सुनाये जाने की उम्मीद है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय जल्द आने की उम्मीद है। उच्चतम न्यायालय में 18 अगस्त 2020 को मामले की

सुनवाई पूरी कर ली गयी थी और न्यायालय द्वारा फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था। मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एम. आर. शाह की खण्डपीठ द्वारा की जा चुकी है। विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर की परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने के यूजीसी द्वारा 6 जुलाई को जारी

निर्देशों को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर एक साथ 18 अगस्त को हुई पिछली और अंतिम सुनवाई के दौरान विभिन्न राज्यों झ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और ओडिशा की दलीलों को भी सुना गया, क्योंकि इन राज्यों की सरकारों ने परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला स्वयं ही ले लिया था। यूजीसी द्वारा सुनवाई के दौरान इन राज्यों के फैसले को आयोग के सांविधिक विशेषाधिकारों के विरुद्ध बताया गया था।

उत्तर प्रदेश के शहरों को हवाई रुटों को मिली मंजूरी

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए चलाई जा रही 'उड़ान' योजना के चौथे चरण में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 78 और नए हवाई रुट को मंजूरी दी है। इसमें पूर्वोत्तर के सुदूर में बसे शहरों के साथ उत्तर प्रदेश के कई छोटे बड़े शहरों को शामिल किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश में हवाई सेवा का नेटवर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी।



नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, उड़ान स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के कानपुर (चकेरी), मुरादाबाद, अलीगढ़, चित्रकूट, वाराणसी, श्रावस्ती, चक्रवर्ती से वाराणसी, श्रावस्ती से प्रयागराज, श्रावस्ती से कानपुर (चकेरी), बरेली से दिल्ली का रुट शामिल किया गया है। इन हवाई रुटों के शुरू होने से उत्तर प्रदेश के शहरों की आवाजाही

उड़ान-4 से उत्तर पूर्वी राज्यों में हवाई रुटों का कई नए नेटवर्क की शुरूआत होगी। पूर्वोत्तर राज्यों के हिमालयन क्षेत्र में होने की वजह से लोगों के आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके कई बड़े शहर भी अभी तक रेलवे नेटवर्क से जुड़ नहीं सके हैं। लिहाजा लोगों को कहीं आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने उड़ान स्कीम में उत्तर पूर्वी राज्यों को काफी त्वज्जो की दी है। इन राज्यों के ज्यादातर शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने का फैसला लिया गया है। इन रुटों को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा बिजापुर से भोपाल, दीव से सुरत, दीव से बड़ोदरा को भी मंजूरी दी गई है।

आसान हो जाएगी। दिल्ली और हिस्सार से पहाड़ी क्षेत्रों के दूरस्थ वाले शहरों व कस्बों में जाना आना आसान हो जाएगा। उड़ान स्कीम के चौथे चरण में जिन रुटों की मंजूरी दी गई है। उसके तहत दिल्ली से शिमला, हिस्सार से धर्मशाला, हिस्सार से चंडीगढ़, हिस्सार से देहरादून के रुटों को भी शामिल किया गया है। मंजूर किए गए इन रुटों पर बड़ी संख्या में लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं।

केरल सोना तस्करी मामले में चार लोग और गिरफ्तार

नई दिल्ली, प्रेट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने केरल सोना तस्करी मामले में चार और लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने तिरुवनंतपुरम के यूई वाणिज्य दूत को भेजे गए आयात कार्गो के माध्यम से हुई सोना तस्करी के लिए धन मुहैया कराया था और अन्य आरोपितों के साथ मिलकर इसकी साजिश रची थी। एनआइए के प्रवक्ता ने कहा कि कोझिकोड के निवासी जिफसल सीवी और मुहम्मद अबू शमीम, मलपपुरम के अबूबकर पी. और अन्दूल हमीद पीएम को सोमवार को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने कहा कि बुधवार को मलपपुरम और कोझिकोड जिलों में आरोपितों के आवास की तलाशी ली



गई। इसके अलावा अबूबकर की मालाबार चैलरी, मलपपुरम में हमीद की अभीम गोल्ड और कोझिकोड में शमसुद्दीन के स्वामित्व वाली अंबी ज्वेलरी की भी तलाशी ली गई। तलाशी में कई उपकरण और आपतिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। अभी तक एनआइए इस मामले

में 25 को आरोपित कर चुकी है जिनमें से 20 गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उधर, सचिवालय में लगी आग को लेकर राज्य की विपक्षी पार्टियों एकजुट हो गई हैं। बुधवार को पूरे राज्य में कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पानी की बौछार और आंसू गैस का सहारा लिया। कोरिस की अगुआई वाले यूडीएफ और भाजपा ने एनआइए में आग लगने की जांच करने की मांग की है। मंगलवार को सामान्य प्रशासन विभाग में आग लगी थी। पुलिस एफआइआर में सकारा गैरट हाउस में बुकिंग से संबंधित कुछ फाइलों के क्षतिग्रस्त होने का उल्लेख किया गया है।

पूरे राज्य में इस घटना पर आक्रोश पैदा हो गया है। कोरिस और भाजपा मुख्यमंत्री पिनारई विजयन से इस्तीफे की मांग कर रही हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सोना तस्करी के मामले से संबंधित फाइलें जलाने के लिए मंगलवार शाम आग लगाई गई। कोरिस के प्रदेश अध्यक्ष मुल्लापरल्ली रामचंद्रन ने कहा कि सचिवालय में आग सदैहास्पद है क्योंकि विजयन और उनके विश्वासपात्र की यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण फाइलें जलाई रखी हुई थीं। एनआइए की जांच से ही सच्चाई सामने आ सकती है। सीबीआइ को भी जांच में शामिल किया जाना चाहिए। विजयन की चुपी संदेह पैदा करती है। वह किसी बात से डर रहे हैं।


अवमानना के दोषी भगोड़े विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर SC ने आदेश सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, एएनआइ। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या द्वारा वर्ष 2017 में अदालत की अवमानना मामले में दायर पुनर्विचार याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। दरअसल माल्या ने 40 मिलियन डॉलर की रकम अपने बच्चों के नाम पर ट्रांसफर किया था जिसके लिए कोर्ट की ओर से मना किया गया था। माल्या ने 2017 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। 40 मिलियन डॉलर अपने परिवारों के खाते में ट्रांसफर किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को

कोर्ट की अवमानना का दोषी माना था। 9 मई 2017 को डिएगो डील के 40 मिलियन डॉलर बच्चों के खाते में ट्रांसफर करने और संपत्ति का विवरण न देने के लिए माल्या को दोषी माना गया था। जजों के समक्ष पुनर्विचार याचिका नहीं लगी। जस्टिस व् यू ललित और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने 16 जून को विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर गौर किया और सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री को तीन साल तक इस पुनर्विचार याचिका से संबंधित फाइल देखने वाले अधिकारियों के नाम सहित सारा विवरण पेश करने का निर्देश दिया।

बाबा रामदेव की कंपनी को मिली राहत

नई दिल्ली, प्रेट। बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उसने पतंजलि द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 'कोरोनिल' ट्रेड मार्क के इस्तेमाल पर रोक लगाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। चेन्नई की दवा कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती थी। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगर हम महामारी के दौरान 'कोरोनिल' शब्द के इस्तेमाल को रोकते हैं तो यह पहले से बन चुके उत्पाद के लिए भयानक होगा,



क्योंकि इसके नाम पर कुछ कीटनाशक भी हैं। याचिकाकर्ता को इस मामले को हाईकोर्ट के समक्ष ले जाने को कहा गया। इससे पूर्व मामले की सुनवाई

मद्रास हाईकोर्ट में हुई थी। उसने पतंजलि पर 10 लाख रुपये का जुमाना लगाया था और साथ ही इस ट्रेड मार्क के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। बाद में हाईकोर्ट की ही डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी थी। गौरतलब है कि पतंजलि ने इसे कोरोना की दवा बताया था। दवा को लेकर बाद में आयुष मंत्रालय ने कहा था कि इसे इम्यूनोटी बूस्टर के तौर पर बेचा जा सकता है, लेकिन कोरोना की दवा नहीं बताया जा सकता। आचार्य बालकृष्ण ने कहा था कि औषधि के लेबल पर कोई अवैध दावा नहीं

किया गया है। इम्यूनोटी बूस्टर का लाइसेंस लिया गया था और कोरोनिल टेबलेट, श्वसारि बटी और अणु तेल औषधि इम्यूनोटी बूस्टर का ही नाम करती है। इस बारे में पतंजलि प्रवक्ता एसके तिजारावाला ने बताया कि कोरोनिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल केस में कोर्ट ने टिप्पणी की कि इस नाम का कोई कीटनाशक है, जबकि कोरोनिल एक दवा है। कोरोना संक्रमण काल में इस पर रोक लगाना कतई उचित नहीं। बताया कि इस टिप्पणी के साथ कोर्ट में केस को खारिज कर दिया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने NCC कैडेट्स के ऑनलाइन प्रशिक्षण के APP किया लॉन्च



नई दिल्ली, पीटीआइ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को देश में नेशनल कैडेट कोर के कैडेट्स के ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर एनसीसी कैडेट्स के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। चूंकि निकट भविष्य में स्कूलों और कॉलेजों के खुलने की संभावना नहीं है, इसलिए एनसीसी कैडेट्स को डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। बयान में कहा गया है कि 'डीजीएनसीसी' नामक मोबाइल ऐप का उद्देश्य एनसीसी कैडेट्स को पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सहित सभी प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना है। सवाल पूछने के विकल्प को शामिल

करके ऐप को इंटरैक्टिव बनाया गया है। इस विकल्प का उपयोग करके कैडेट्स प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं और इसका उत्तर योग्य प्रशिक्षकों के एक पैनल द्वारा दिया जाएगा। राजनाथ सिंह के साथ, रक्षा सचिव अजय कुमार, एनसीसी के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौपड़ा और मंत्रालय के अन्य अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। ऐप लॉन्च के बाद, राजनाथ सिंह ने टि्वटर पर कहा कि आज एनसीसी कैडेट्स के लिए मोबाइल ट्रेनिंग ऐप लॉन्च किया। यह ऐप एनसीसी कैडेट्स के देशव्यापी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करने में सहायता करेगा। यह डिजिटल लॉन्चिंग में एनसीसी कैडेट्स के लिए उपयोगी होगा और कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का सामना करने में भी मदद करेगा।

पुलवामा हमले में NIA की चार्जशीट से बेचैन हुआ पाक

नई दिल्ली, आइएनएस। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र एक बार फिर सामने आया है। पिछले साल पुलवामा में हुए आतंकी हमले में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी (एनआइए) द्वारा चार्जशीट दायर करने के बाद उसकी बेचैनी बढ़ गई है। उसने चार्जशीट को ही गलत बताने की कोशिश की है। एनआइए ने पुलवामा हमले की गुथी को सुलझाते हुए मंगलवार को विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया था।

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि एनआइए ने पुलवामा हमले में पाकिस्तान को फंसाने की कोशिश की है। यही नहीं, खुद को पाकसाफ बताने की कोशिश में पाकिस्तान ने उल्टे एनआइए की चार्जशीट को भी भाजपा और देश की घरेलू राजनीति से जोड़ने का प्रयास किया है।



19 आरोपितों में जैश सरगना मसूद अजहर, रउफ असगर और उमर फारूक भी शामिल हैं। छह आरोपित मारे जा चुके हैं और सात

पकड़े जा चुके हैं। मुख्य आरोपी पाकिस्तानी कमांडर मोहम्मद उमर फारूक था, जो मसूद अजहर का भतीजा था। उमर फारूक अपने एक अन्य साथी के साथ पुलवामा हमले के चंद दिनों बाद मारा गया था। उधर, कोरिस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले पर एनआइए द्वारा दायर आरोपपत्र सावधानीपूर्वक और व्यापक तरीके से तैयार किया गया है जो पाकिस्तान को घेरने वाला है। इसके लिए उन्होंने एनआइए को बधाई दी सिंघवी ने ट्वीट कर कहा कि एनआइए के आरोप पत्र में कॉल्स, बैंक जमाओं और तस्वीरों

समेत कई अन्य चीजों का विवरण है जो मजबूत केस बनाने में मदद करते हैं। उन्होंने जांच एजेंसी का आह्वान किया कि वे आरोपितों को सजा दिलवाए। कोरिस नेता ने कहा कि खामियों के लिए हमें पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन अच्छे तरीके से किए गए काम की पूरी प्रशंसा भी होनी चाहिए। मालूम हो कि एनआइए ने पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण वीडियो और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सहित सभी प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करना है। सवाल पूछने के विकल्प को शामिल

प्रयागराज शुक्रवार, 28 अगस्त, 2020

संक्षेप समाचार

अनियंत्रित अप्पे पलटी आधा दर्जन घायल तीन की हालत गंभीर

घूरपुर। शहर से सवारी भरकर गौहनिया की ओर जा रही अप्पे अनियंत्रित होकर इरादतगंज बाजार के हाईवे पर पलट गई। जिसमें सवार आधा दर्जन घायल हो गए जिसमें तीन गंभीर रूप से घायल हैं। गुरुवार की सायंकाल शहर से सवारी भरकर गौहनिया की ओर जा रही अप्पे जैसे ही इरादतगंज बाजार के हाईवे पर पहुंची की अचानक सामने आए सायंकिल सवार को बचाने के चक्कर में अप्पे अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गई। सवार घायल यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने मदद कर बाहर निकालने लगे इसी बीच सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। घायलों को इलाज के लिए जसरा सीएचसी ले गए।

बिजली का करंट लगने से दो सगी बहनों की मौत

करछना। गुरुवार दोपहर करीब दो बजे मेदनी सिंह का पूरा धरचारा मे एक घर मे साप निकलने पर सरिया लेकर मारने का प्रयास करने लगी उसी दौरान सरिया बिजली के तार से छू जाने के कारण उसमे करंट दौड़ गया और दोनों चपेट मे आ गईं जिससे दोनों बहनों की मौके पर ही मौत हो गई एक सप्ताह पूर्व बृजबलि पटेल के पिता का देहांत हो गया था जिसके दाह संस्कार के उपरांत बेटा क्रिया कर्म मे व्यस्त था



आज दोपहर घर में साप बेटी रामू देवी 16 बरछा लेकर साप को मारने चली गई उसी

दौरान बिजली के तार से बरछा कहीं छू गया जिससे वह तडपने लगी उसकी छोटी बहन मनीषा 14 उसे छुड़ाने के लिए दौड़ी देखते ही देखते दोनों बहनों की मौत हो गई जबतक घर के लोग कुछ कर पाते तबतक दोनों की सांसे थम चुकी थी इस घटना से घर मे कोहराम मचा रहा और पिता के तेरहवी की तैयारी एकबार फिर मातम मे बदल गई परिजन बिना किसी कार्रवाई के दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया।

चकमार्ग सीमांकन की अवहेलना मामले में नौ के खिलाफ केस दर्ज

घूरपुर। घूरपुर के बलीपुर नरैयहवा गांव में प्रशासन द्वारा चकमार्ग की सीमांकन की अवहेलना के विरुद्ध नौ लोगों के खिलाफ लेखपाल ने केस दर्ज कराया है। मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। करछना तहसील के अंतर्गत घूरपुर इलाके के ग्राम सभा बलीपुर के मजरा नरैयहवा में चकमार्ग संख्या 62/0.034, 63/0.046 व 7/0.026 पर गांव के कई लोग अवैध कब्जा कर लिए हैं और कुछ स्थानों पर गड्ढा कर दिए हैं। जिससे लोगों का आवागमन बाधित होता है। शिकायत पर राजस्व विभाग पुलिस टीम के साथ जाकर सीमांकन किए। लेकिन आरोपित उसे मुंडई के बल पर पुनः अवैध कब्जा कर चकमार्ग बाधित कर दिए। जिस पर लेखपाल सूर्य कान्त शर्मा ने आरोपित अमय राज, रमेश कुमार, राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार, राजेश, राकेश दुर्गा, सुरेश रमेश निवासीएण नरैयहवा के खिलाफ घूरपुर थाने में शिकायती प्रार देकर लोक बीट संपत्ति अधिनियम के तहत केस दर्ज किया।

मार्ग दुर्घटनाओं में किसान समेत दो की मौत

प्रयागराज। जनपद में बीते आठ घंटे के दौरान हुई मार्गदुर्घटना में किसान समेत दो लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की। पहली घटना नवाबगंज थाने की है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के आशापुर गांव निवासी मदन मोहन (45वर्ष) पुत्र कल्लू खेती करके दो बेटे और पत्नी मीना का भरपूर-पोषण करता था। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह घर से मोटरसाइकिल से सब्जी बेचने के बाजार जा रहा था। रास्ते में उल्हा महेशगंज गांव के समीप उसकी मोटर साइकिल में एक टुक ने टक्कर मार दी। हादसे में उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची

पुलिस ने शव कब्जे में लेकर परिवार वालों को खबर दी। दुर्घटना की सूचना पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की। दूसरी घटना नैनी कोतवाली क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह लिप्रोसी चैराहे के समीप डीसीएम और ट्रक की भिड़त में एक चालक मुकेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृत डीसीएम चालक मुकेश (35वर्ष) पुत्र नौमी लाल निवासी गोमाना गांव थाना रूथौली जिला फैजाबाद के परिजनों को सूचना देने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।



हाईकोर्ट समाचार

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव व परीक्षा नियंत्रक को अवमानना नोटिस

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उ प्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अनिहोत्री एवं परीक्षा नियंत्रक विपिन कुमार मिश्र के खिलाफ अवमानना याचिका पर नोटिस जारी की है। कोर्ट ने याचिका चार हफ्ते बाद सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने अनुराग शुक्ल की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता प्रेम प्रकाश ने बहस की। याची का कहना है कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2016 में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली रह गये पदों को कट आफ मेरिट के नीचे के अभ्यर्थियों से भरने का निर्देश दिया गया है। जिसकी अवहेलना करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है।

बीएड की फर्जी डिग्री के आरोप में बर्खास्तगी पर रोक, जवाब तलब

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा की 2004-05 के बीएड की फर्जी डिग्री के आरोप में बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है और याचिका लंबित रहने के दौरान टीचर को बहाल कर नियमित वेतन भुगतान का निर्देश दिया है। याची का कहना है कि फर्जी डिग्री के आरोप में बर्खास्तगी के एकलपिठ के आदेश के खिलाफ विशेष अपील पर खंडपीठ ने एकलपिठ के आदेश पर रोक लगा दी है। इसीलिए उसकी बर्खास्तगी अपील तय होने तक रद्द की जाय। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने सहायक अध्यापक आशेष दुबे की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता सत्येन्द्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की। याची का कहना है कि उसने विश्वविद्यालय से 2004-05 सत्र में बीएड डिग्री हासिल की है और वह 20 सितम्बर 15 से नौकरी कर रहा है। एक जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया। एसआईटी जांच में हजारों बीएड डिग्रीयो के फर्जी होने की रिपोर्ट पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है। बीएसए ने कारण बताओ नोटिस जारी की और बर्खास्त कर दिया। याची का कहना है कि जिस आदेश से कार्रवाई की गयी है, उस पर हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिका अपील के निर्णय के बाद सुनवाई के लिए पेश करने का निर्देश दिया है।

अधिवक्ता के नाम पर दुरूपयोग की जांच का निर्देश

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्राम पंचायत की तरफ से राज्य सरकार के नामित अधिवक्ता को ही मुकदमे दाखिल करने व बहस करने का अधिकार है। किन्तु नामित अधिवक्ता के नाम पर ग्राम प्रधान अपनी पसंद के अधिवक्ता के मार्फत फर्जी मुकदमे दाखिल कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पकड़ में आया है। हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रूख अपनाया है और ग्राम पंचायत पिपरिया के पैनाल अधिवक्ता कृष्ण कान्त सिंह के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर ग्राम प्रधान पारस नाथ सिंह द्वारा दूसरे वकील के मार्फत याचिका दाखिल कराने की जिलाधिकारी चंदौली को जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि दोषी पाये जाने पर ग्राम प्रधान पर कार्रवाई की जाय। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने ग्राम पंचायत पिपरिया व अन्य की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। अधिवक्ता कृष्ण कान्त सिंह ने कोर्ट में हाजिर होकर बताया कि उन्होंने यह याचिका दाखिल नहीं की है। किसी ने उनके नाम का दुरूपयोग कर उनके नाम से यह याचिका दाखिल की है। उन्होंने ग्राम प्रधान पारस नाथ सिंह पर याचिका दाखिल करने का आरोप लगाया। कृष्ण कान्त सिंह ने कोर्ट को बताया कि न तो याचिका, न ही वकालतनामे पर उनके हस्ताक्षर हैं और न ही उन्होंने हलफनामे में याची का सत्यापन किया है। उनका फर्जी हस्ताक्षर किया गया है। याचिका के हस्ताक्षर उनके नहीं हैं। उनके नाम का दुरूपयोग किया गया है। जिस पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर जिलाधिकारी चंदौली को जांच का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जांच की जाय कि क्या अधिवक्ता कृष्ण कान्त सिंह के नाम का दुरूपयोग कर ग्राम प्रधान पारस नाथ सिंह ने याचिका दाखिल करायी है। यदि जांच में आरोपों की पुष्टि होती है तो ग्राम प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की जाय और ग्राम प्रधान याचिका दाखिल करने में किसी वकील का नाम बताते हैं तो उसका नाम बार काउन्सिल को भेजा जाय तथा बार काउन्सिल उस अधिवक्ता के खिलाफ दूसरे वकील के हस्ताक्षर से याचिका दाखिल करने की जांच कर कार्रवाई करे। कोर्ट ने जिलाधिकारी को जांच रिपोर्ट आदेश मिलने के 30 दिन मे महानिबंधक के समक्ष प्रेषित करने का भी निर्देश दिया है।

पूर्व सांसद धनजय सिंह को मिली सशर्त जमानत

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली पूर्व सांसद धनजय सिंह की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने कहा है कि शर्तों का उल्लंघन होने पर जमानत निरस्त की जा सकती है। कोर्ट ने शर्त में कहा है कि याची अपराध में लिप्त नहीं होगा, कोर्ट में हाजिर होगा, विचारण में सहयोग करेगा, साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा, गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा। ऐसी अन्य शर्तों का पालन करना होगा। जौनपुर के लाइन बाजार थाने में नमागि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने 10 मई 20 को पूर्व सांसद धनजय सिंह व संतोष विक्रम सिंह के खिलाफ उनका अपहरण करने, जान से मारने की धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज करायी है। इसी मामले में 23 जुलाई को एडीजे प्रथम ने सह अभियुक्त संतोष विक्रम सिंह को जमानत दी है। प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने आरोप लगाया है कि धनजय सिंह ने उन पर गिट्टी, बालू आपूर्ति के लिए दबाव डालने व जांच से मारने की धमकी दी है। उनका अपहरण कर धनजय के घर ले जाया गया था। धनजय ने पिस्टल दिखाकर उसे धमकी दी और रंगदारी मांगी।

सरकारी जमीन पर दबंगों का कब्जा, शिकायत

करछना। तहसील क्षेत्र के शाससभा चनेनी में ग्रामसभा की जमीन पर भू माफिया द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। एजिसकी शिकायत ग्रामीणों ने तहसील प्रशासन से किया। इसके बावजूद भू-माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। जिसको लेकर सुरेश कुमार, अकिंत शुक्ला, विपिन सिंह आदि ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर जमीन खाली करवाये जाने की मांग की है। उक्त जमीन पर सार्वजनिक तौर पर कई गांव के बच्चे खेलकूद और सेना में भर्ती होने के लिए तैयारियां करते हैं सुबह शाम कई गांव बच्चे यहां खेलने आते हैं। बच्चों के विरोध के बावजूद उक्त जमीन पर चनेनी गांव के कुछ भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप कब्जा किया जा रहा और विवाद करने पर उतावल है। लोगों का कहना था कि कानूनगो बैजनाथ तिवारी से शिकायत की और ग्रामीणों का आरोप है कि कानूनगो ही सरकारी जमीन पर कब्जा करा रहे हैं।

अखाड़ा परिषद ने देश में कामन सिविल कोड लागू करने की मांग की

मुस्लिमों की बढ़ रही आबादी देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की भी मांग

● भाजपा ही कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून ला सकती है

प्रयागराज। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने एक बार फिर से देश में कामन सिविल कोड लागू करने को लेकर आवाज उठाई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने मुसलमानों की लगातार बढ़ रही आबादी पर चिंता जताते हुए इस पर रोक लगाने के लिए दो बच्चों का

कानून लागू करने की भी मांग की है। कहा है कि देश में मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद अल्पसंख्यक लगातार बहुसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रयागराज में जहां एक मुस्लिम महिला हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी देने और गालियां देने के आरोप में गिरफ्तार हुई है। वहीं अयोध्या का राम मंदिर बने बगैर कुछ असामाजिक तत्व मंदिर गिराने की बात कर सनातन संस्कृति को ललकार रहे हैं। महंत ने कहा है कि देश में बढ़ रही मुस्लिम आबादी आने वाले दिनों में बड़ा खतरा बन



सकती है। जिस रफ्तार से मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में बहुसंख्यकों का जीना दुश्वार हो जायेगा। उन्होंने कहा है कि मुसलमान तीन तीन शायियां करते हैं और 20-20 बच्चे पैदा करते हैं।

अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो यह भारत पर बोझ बन जाएगी। महंत नरेंद्र गिरि ने कहा है कि मुसलमानों को चाहिए कि वह अब अपने को अल्पसंख्यक कहना छोड़ें और हिंदुओं को धमकाना छोड़ दें। कहा कि अगर मुसलमानों की आबादी रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया गया, आने वाले दिनों में देश में भयावह स्थिति हो जाएगी। महंत ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी अपील की है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लोगों को जागरूक करें। इसके साथ ही साथ लोगों को यह भी समझाए कि वह इस तरह के विवादाित बयान न दें कि बहुसंख्यकों

में उबाल आये। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की अवहेलना करना और भारत के कानून को न मानना मुस्लिम बुद्धिजीवियों को बंद कर देना चाहिए। हिंदुओं की भी जनसंख्या देश में बढ़े इसके लिए उन्हें भी अब विचार करना पड़ेगा। अंत में उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून भाजपा सरकार ही ला सकती है। यदि भाजपा सरकार ऐसा करती है तो भाजपा अगले पचास वर्षों तक शासन करेगी। कहा कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद इस मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन भी सौंपेगी।

पंचायत भवन का प्लास्टर भरभरा कर गिरा, एसडीएम सख्त

घूरपुर। एसडीएम करछना आकांक्षा राणा गांवों में बन रहे नए पंचायत भवन व शौचालय की स्थिति देखने के लिए निरीक्षण के लिए पहुंची। ग्राम सभा पंचवी में बन रहे पंचायत भवन का जैसे ही एसडीएम आकांक्षा राणा ने निरीक्षण के दौरान लुआ तो प्लास्टर भरभरा कर गिर गया। यह देखकर वह बिफर गई सर्वेक्षण अधिकारियों व कर्मचारियों को ग्राम प्रधान को फटकार लगाई। भनौरी ग्राम सभा में पंचायत भवन मानक के तहत नहीं बनाया जा रहे थे जिस पर एसडीएम ने वहां के ग्राम सचिव प्रधान को फटकार लगाई। ग्राम सभा कर्मा व हथियानी में पंचायत भवन बन गए हैं। और वहां पर

एसडीएम ने साफ-सफाई के लिए देखने के लिए एक कर्मी की नियुक्ति करने को कहा। बड़ोहना खुर्द व कला में शौचालय में उपयोग के लिए बनाए गए टैंक से वह नाराजगी दिखाई। एसडीएम ने फटकार लगाते हुए कहा पंचायत भवन शौचालयों में मानक के अनुरूप ही काम कराया जाए। गडबड़ी होने पर कार्रवाई की जाएगी। पंचर गांव में अभी तक पंचायत भवन की जमीन देखी। अभी तक जमीन निर्धारित नहीं होने बनाया जा रहे थे जिस पर एसडीएम ने वहां के ग्राम सचिव प्रधान को फटकार लगाई। ग्राम सभा कर्मा व हथियानी में पंचायत भवन बन गए हैं। और वहां पर

पंचवी गांवशा आश्रम का भी किया निरीक्षण

घूरपुर। पंचवी ग्राम सभा स्थित गोवंश आश्रम भी देखने के लिए एसडीएम पहुंची। गोवंश आश्रम में मौजूद कर्मचारियों को जरूरी हिदायत भी दी। एसडीएम करछना आकांक्षा राणा कोई भी कमी पशुओं को दिक्कत ना हो इसके लिए सारी चीजें मुहैया कराने की बात कही।

लिए पहुंची। राजस्व निरीक्षक सत्येंद्र मिश्रा, लेखपाल राजेंद्र प्रसाद शर्मा, हीरालाल, महेंद्र, सरोज, ग्राम सचिव नील कृष्ण प्रजापति, ग्राम प्रधान हरीश चंद भारतीय, नफीस अहमद मौजूद रहे।



फटकार लगाती एसडीएम आकांक्षा राणा

आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव लगाया आक्सीमीटर कैम्प

करछना। आम आदमी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष नेहा सिंह के नेतृत्व में करछना क्षेत्र के कैथी, जगौती, बरदवा, कीवा बाजार, भुंडा, करेहा गांवों में कोरोना महामारी के बचाव के लिए ऑक्सीमीटर द्वारा ऑक्सी मिट्रों द्वारा क्षेत्र के करछना ब्लॉक के विभिन्न गांवों में डोर टू डोर कैम्प लगाकर लोगों के ऑक्सीजन स्तर की जांच की गई। ऑक्सी मिट्रों द्वारा लोगों को साफ सफाई व मार्स्क पहनने का सुझाव दिया गया। ब्लॉक के हर गांवों में डोर टू डोर ऑक्सीमीटर कैम्प लगाया जाएगा जिससे इस महामारी से लोगों को बचाया जा सके। जिला उपाध्यक्ष नेहा सिंह ने कहा ब्लॉक के हर एक गांवों की जांच होगी।



आक्सीजन स्तर की जांच करते आप पार्टी के कार्यकर्ता

उमरे प्रयागराज मंडल में हुआ

टेलिकम्युनिकेशन का आधुनिकीकरण

प्रयागराज। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल अपने सिमल और दूरसंचार विभाग द्वारा सिमलिंग उपकरणों के आधुनिकीकरण के चल रहे कार्य के तहत रेल परिचालन में समय की पारबंदी और सुक्षा दोनों को बेहतर करने के लिए सिमलिंग सिस्टम में लगातार सुधार किया जा रहा है। जनसम्पर्क अधिकारी केशव त्रिपाठी के अनुसार सिमल और दूरसंचार विभाग द्वारा त्वरित गति से वार्षिक लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत प्रयागराज-कानपुर खंड के अशरारा-कटोघन-कनक सेसन में बीपीसी की कमीशनिंग 25 अगस्त को किया गया। यह एक प्रणाली है जिसका उपयोग दो खंडों के बीच ब्लॉक

खंड में ट्रेन के समन्वित आवागमन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग उस अनुभाग को व्यस्त स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि अनुभाग किसी अन्य ट्रेन के लिए अनुमति देने के लिए स्पष्ट है। यह गाड़ियों की सुरक्षित आवाजाही में उपयोगी है और त्रुटि के सबसे संभावित अवसर को समाप्त करता है। इसके अंतर्गत, प्रयागराज, मानिकपुर, कानपुर, खुर्जा, फतेहपुर, भरवारी, मिजापुर, सूबेदारगंज, सिराथू, नैनी, विंध्याचल, फिरोजाबाद एवं अलीगढ़ स्टेशनों के ट्रेन टाइमिंग डिप्ले बोर्ड को नेशनल ट्रेन इन्व्वारी सिस्टम से जोड़ दिया गया है।

आवास नही मिलने से नाराज युवक ने दी जान देने की कोशिश, हड़कंप

घूरपुर। गांवों में विकास किस तरह हो रहा है और पात्रों को दरकिनार कर अपात्रों को किस तरह सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है यह किसी से छिपी नहीं है। इसका जीता जाता उदाहरण घूरपुर के इलाके में देखने को जो कुछ मिला उसने जमीनी हकीकत खोल कर रख दी है। हुआ वृं कि पांच साल से पालिथीन के नीचे परिवार सहित गुजर बसर कर रहे मजदूर ने कई बार सरकारी आवास के लिए मिन्नतें करता रहा लेकिन उसे नही मिला तो क्षुब्ध होकर वह हाईटेशन टावर पर जान देने को चढ़ गया। गनीमत ये रहा कि राहगीरों की नजर पड़ गई शोर करने पर लोगों की भीड़ लग गई सूचना पर पुलिस और प्रधान पहुंच आशवासन दिया तब

जाकर वह नीचे उतरा तो लोगों ने राहत की सांस लिए। चाका विकास खंड के अंतर्गत घूरपुर इलाके के मुराद पुर गांव के मन्नी लाल पटेल पुत्र स्व. कुम्भकर्ण पटेल का गांव का कच्चा मकान पांच वर्ष पूर्व बारिश के दौरान ढह गया। जिससे वह इरादतगंज हवाई पट्टी पर ईंट के उपर पालिथीन की छत बनाकर परिवार सहित रहने लगा था इस बीच एक माह पूर्व उसके पिता का निधन हो गया गया। तो दु:खों का पहाड़ टूट पड़ा। छोटे से पालिथीन के छत के नीचे माता प्रभावती छोटा भाई दीप लाल छोटी बहन कुसुम के साथ मन्नी लाल पूरी गृहस्थी के साथ रहता है। बारिश में कोई मकड़ों का भी सामना करना पड़ता है। इस बीच गांव में कई लोगों

को सरकारी आवास मिला लेकिन इस बदनसीब को नही मिला जबकि कई बार प्रधान व रोजगार सेवक से मिल मिन्नतें भी किया लेकिन सुनवाई नहीं हुई तो बुधवार की शाम वह इरादतगंज हवाई पट्टी घर के समीप हाई टेशन टावर पर जान देने चढ़ गया तो राहगीरों ने देखा तो शोर मचाया तो लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पुलिस को हुई तो हड़कंप हो गया तीन जीप से भारी फोर्स पहुंच गई और उसे समझा बुझाकर रोका गया प्रधान विषमप लाल को बुलाया। पुलिस और प्रधान के आशवासन पर युवक माना और टावर से नीचे उतरा और चेतावनी दी यदि इस बार आवास नही मिला तो दुबारा टावर पर चढ़ जान दे दूंगा। इस बीच काफी भीड़ लगी रही।



टावर पर जान देने के लिए चढ़ने वाला युवक अपने परिवार के साथ व कच्चा मकान



क्रियायोग सन्देश

प्रयागराज शुक्रवार, 28 अगस्त, 2020



वर्ण व्यवस्था का सही रूप...

क्रियायोग प्राचीनतम आध्यात्मिक शिक्षा है। प्राचीनकाल में क्रियायोग विज्ञान का प्रारम्भ उपनयन संस्कार से होता था। उपनयन संस्कार को बारह वर्ष के बाद ग्रहण करने का विधान था। बारह वर्ष उम्र के पहले प्रत्येक मनुष्य के अन्दर तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) की कार्यक्षमता कम होने से उसका व्यवहार अबोध बालक की तरह होता है, सोचने समझने की सामर्थ्य कम होने की वजह से व्यक्ति को शूद्र कहा जाता है। वर्तमान में शूद्र का अर्थ बदल गया जिसकी वजह से समाज अव्यवस्थित हो गया। शास्त्रों में कहा गया है 'जन्मतो जायतो शूद्रः', जन्म से सभी शूद्र होते हैं। यहाँ पर शूद्र का अर्थ जाति से नहीं है। वे सारे व्यक्ति जिनका जीवन खाने-पीने, घूमने-टहलने और इन्द्रिय सुख-भोग में केन्द्रित होता है, सभी शूद्र की तरह हैं।

प्रारम्भिक जीवन में मस्तिष्क तथा अन्तःश्रावी ग्रन्थियों आदि अनेक अंगों के विकास के लिए शूद्र प्रवृत्ति का होना आवश्यक है। अगर बच्चों के हँसने, खेलने, घूमने की उन्मुक्तता को रोक देने

पर उनका सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। इसलिए प्राचीनकाल में बारह वर्ष तक किसी भी प्रकार की बाह्य शिक्षा को ग्रहण करने का विधान नहीं था। बारह वर्ष के बाद उपनयन संस्कार ग्रहण करने पर मनुष्य शूद्र से द्विज में रूपान्तरित हो जाता है।

द्विज का अर्थ दो प्रकार की जानकारी से है। 'द्वि' का अर्थ दो से व 'ज' का अर्थ जानकारी से है। द्विज की अवस्था में मनुष्य को सत् और असत् के बारे में ज्ञान होने लगता है। सत् असत् के बारे में ज्ञान प्राप्त होने पर और सतमार्ग का अनुसरण करने पर मनुष्य वैदिक ज्ञान की प्राप्ति करने लगता है। सत्, रज्, तम् गुणों से संबंधित ज्ञान ही वैदिक ज्ञान है। सत्, रज्, तम् गुणों के भिन्न-भिन्न अनुपात से पत्थर, वनस्पति, जीव-जन्तु, मानव व देवी-देवता आदि का सृजन हुआ है। अतः अणु-परमाणु, वनस्पति, जीव-जन्तु, मानव व देवी-देवता के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही वैदिक ज्ञान है। वैदिक ज्ञान की प्राप्ति होने पर मनुष्य विप्र अवस्था की प्राप्ति कर लेता है। इसी मार्ग पर चलते हुए विप्र में ब्रह्म विद्या

प्रकाशित हो जाती है, इस अवस्था में उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। जिन लोगों को वैदिक ज्ञान अच्छी तरह प्राप्त नहीं हो पाता है, वे लोग व्यापार आदि द्वारा समाज की सेवा करने लगते हैं, उन्हें ही वैश्य कहा गया।

ब्राह्मणों का वह वर्ग जो उपनयन संस्कार के गहन अभ्यास द्वारा शरीर के अन्दर विद्यमान चक्रों पर अधिकार प्राप्त कर लिये, उन्हें चक्रवर्ती राजा कहा गया। इन्हीं लोगों को क्षत्रिय व राजर्षि भी कहा गया है। क्षत्रिय का अर्थ है जो क्षत अर्थात् कष्ट का त्राण करे। जो अपने ज्ञान व शक्ति के द्वारा जनता के कष्टों को दूर करता था, उसे क्षत्रिय समाज कहा गया।

शास्त्रों में भी कहा गया है कि ब्राह्मण लोगों ने क्षत्रियों का निर्माण किया। इसका अर्थ यह है कि ब्राह्मण अवस्था की प्राप्ति के बाद और गहन साधना के द्वारा क्षत्रिय अवस्था की प्राप्ति होती है। इस प्रकार शूद्र, द्विज, विप्र, ब्राह्मण आदि अवस्थाएँ अलग-अलग डिग्री की तरह थी जो मनुष्य की साधना और उसके अन्तःकरण में प्रकाशित ज्ञान के आधार पर,

उसे प्रदान की जाती थीं। कलिकाल में मानव मस्तिष्क का ज्ञान घटने पर जब लोग जन्म को कर्म से बड़ा मानने लगे तो जन्मना जाति प्रथा की परम्परा चल पड़ी।

भारत राष्ट्र के निर्माण के लिए आज आवश्यकता है कि जाति व्यवस्था का सही रूप प्रकट हो और हमारे देश से जातिवाद का झगड़ा समाप्त हो जाय। क्रियायोग का विस्तार होने पर जनता ज्ञानी होगी। ऐसा होने पर स्वतंत्र कर्म को जन्म से बड़ा माना जाएगा और कर्म की महत्ता स्थापित होगी। ऐसी स्थिति में जाति व्यवस्था का सही रूप प्रकट होगा।

क्रियायोग का अभ्यास करने पर मनुष्य शूद्र से द्विज, द्विज से विप्र, विप्र से ब्राह्मण और क्षत्रिय अवस्था की प्राप्ति कर अल्पकाल में पूर्ण विकसित और ज्ञानी हो जाता है। ऐसा होने पर उसके द्वारा देश की और मानवता की सच्ची सेवा होगी और राष्ट्र का उत्थान होगा।

The Five Stages of Human Consciousness

Kriyayoga Meditation brings realization that human consciousness has five stages of development which are known as Shudra, Dwija, Vipra, Brahmin and Kshatriya.

The Shudra stage is the childhood stage (beginning stage) of human consciousness and in this stage a person is highly attracted towards sense pleasure and believes in mystical phenomena. Such persons can be bribed and distracted very easily. Their understanding power is child-like and limited. They commit mistakes in almost all walks of life and, therefore, they suffer from various physical and mental problems. Because of this, the living expenses of Shudras are very high. Generally, in ancient India, the Shudra stage was up to twelve years of age. With correct teachings, they enter into the Dwija stage and keep on progressing. However, today, due to the lack of proper teaching, the Shudra stage exists even up to later years as well. Sometimes, a person remains in this stage throughout their whole life. Kriyayoga Meditation quickens



growth of understanding power and one can proceed very quickly from Shudra stage to the highest stage of Consciousness.

The next stage of development is Dwija Consciousness. In this stage, the understanding power is more evolved and a person is able to realize reality and non-reality behind names and forms of creation. Dwija is made up of two words : "Dwi" means two and "ja" means knowledge (gyaana). A person who is in Dwija Consciousness has knowl-

edge of both – sat (reality) and asat (non-reality). Therefore, they commit less mistakes in day-to-day life. The living expenses of a Dwija is less than that of a Shudra.

The third stage is that of Vipra Consciousness. In this stage, one experiences awakening of Vedic knowledge within. Vedic knowledge is knowledge of creation, preservation and change. A person in this stage is a scientist in all dimensions of life. They are givers of light to all persons suffering from various prob-

lems. They live a good and balanced life and do not have sufferings like persons of Dwija and Shudra stages. Their living expenses are much less in comparison to Dwija persons.

Brahmin Consciousness is the fourth stage of human consciousness. Persons of this stage are highly evolved and have perfect knowledge of creation, preservation and change. They are known as Brahmins. The expenses of Brahmins are minimal. Among Brahmins, a few attain the ultimate stage of evolution and represent Vishnu Consciousness. They are called Kshatriyas. The word "Kshatriya" is comprised of two words – "Kshet" which means injuries and "traan" which means cure. Because of awakened Vishnu Consciousness within, Kshatriyas are able to solve all problems of all creations and are able to bring any change according to need. They are also known as Prophets.